भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2159

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

कामगारों की मजदूरी और कार्यदशाओं में सुधार करना

2159. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर हरियाणा राज्य में कृषि और सन्निर्माण कर्मकारों की मजदूरी और कार्यदशाओं में सुधार करने के लिए शुरू किए जा रहे नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और हरियाणा राज्य के भिवानी-महेंद्रगढ़ के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कर्मकार संरक्षण कानूनों को लागू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का स्थानीय कामगारों को रोजगार के उपयुक्त अवसरों से जोड़ने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों और कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है तथा यदि हां, तो कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण, समीक्षा और संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। तदनुसार, केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों (कृषि और निर्माण क्षेत्र सहित) में वेतन की न्यूनतम दरों में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में संशोधन किया गया था। इसके अतिरिक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर छः माह में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) को संशोधित करती है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जीवन एवं निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगार के लिए कल्याण योजनाएं तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आँकड़े संबंधी स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून माह तक होती है। नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सामान्य स्थिति पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई, और महिलाओं के संबंध में (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग) यह दर वर्ष 2017-18 के 5.6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है तथा सरकार युवाओं एवं महिलाओं सहित सभी के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा दिए गए लिंक https://dge.gov.in/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए लिंक [www.ncs.gov.in] के माध्यम से नेशनल करियर सर्विस (एनएससी) प्रोजेक्ट को लागू किया है जिससे कि रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे नौकरी की खोज और मैचिंग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि पर जानकारी प्रदान की जा सके। एनएससी निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी सहित सभी करियर संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन है।

*****